बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0स0 :–3/अ0प्र0–1–372/2012 81 /पटना, दिनांक :– 15/12/23

दरभंगा जिला के अधीन वर्ष–2005–06 एवं वर्ष–2006–07 में विभिन्न विकास योजनाओं के तहत कार्यान्वित योजनाओं का जॉच प्रतिवेदन निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3539 अनु0 दिनांक 12.06.2012 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन में वर्णित विभिन्न योजनाओं में से ग्यासपुर पेट्रोल पम्प से कुमरी गाँव तक मिट्टी एवं सोलिंग कार्य में अनियमितता के लिए श्री इन्द्रदेव कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर कार्यालय आदेश संख्या–161–सह–पठित ज्ञापांक–2145 अनु0 दिनांक 04.07.2016 द्वारा मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 3845 अनु0 दिनांक 20.07.2023 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि निगरानी विभाग से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में ग्यासपुर पेट्रोल पम्प से कुमरी गाँव तक मिट्टी एवं सोलिंग कार्य के संदर्भ में संबंधित उत्तरदायी/दोषी पदाधिकारियों में से श्री इन्द्रदेव कुमार, कनीय अभियंता का नाम अंकित नहीं है।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि श्री इन्द्रदेव कुमार, कनीय अभियंता दरभंगा जिलान्तर्गत काम के बदले अनाज योजना में गोबरिस्ता से गोदाईपट्टी पहुँच पथ में मिट्टी सोलिंग एवं आर0सी0सी0 कल्भर्ट योजना से संबंधित रहे हैं। तदालोक में कार्यालय आदेश संख्या–77–सह–पठित ज्ञापांक–2446 दिनांक 14.11.2023 द्वारा श्री इन्द्रदेव कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0, दरभंगा सम्प्रति कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, सीतामढ़ी के विरूद्ध कार्यालय आदेश संख्या–161–सह–पठित ज्ञापांक–2145 अनु0 दिनांक 04.07.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए संदर्भित योजना के संदर्भ में नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 7123 अनु0 दिनांक 11.12.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–1(ii) यथा मस्टर रोल के तिथि अंकण में ओभरराइटिंग किये जाने, साथ ही कम दिनों की दर्ज उपस्थिति के बावजूद सात दिनों की उपस्थिति योग कॉलम में दर्शाये जाने तथा इसके विपरीत की भी स्थिति परिलक्षित होने संबंधी आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित एवं आरोप संख्या–1(i), (iii), (iv) तथा 2 को अप्रमाणित होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त इससे सहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक 2628 अनु0 दिनांक 12.12.2023 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

6. श्री कुमार के पत्रांक शून्य दिनांक 13.12.2023 द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। समर्पित द्वितीय बचाव बयान में श्री कुमार द्वारा उल्लेख किया गया कि इस कार्य के अभिकर्त्ता पंचायत सचिव श्री कुमुद कुमार थे, जिसकी सम्पुष्टि निगरानी विभाग के जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–4.2.2 से की जा सकती है। अभिकर्त्ता के द्वारा ही मस्टर रोल तैयार कर श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने की कारवाई की जाती है। श्री कुमार द्वारा यह भी कहा गया कि जिस समय उनके द्वारा मस्टर रोल पर प्रतिहस्ताक्षरित किया गया उस समय मस्टर रोल को Close कर Total नही किया गया था। प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त संभवतः अभिकर्त्ता द्वारा ओभरराइटिंग किया गया होगा एवं उपस्थिति के कॉलम में योग गलत किया गया होगा। जिला पंचायत के अन्तर्गत क्रियान्वित योजना काम के बदले अनाज योजना के मार्गदर्शिका में अंकित है कि मस्टर रोल का संधारण एवं रख–रखाव पंचायत सेवक–सह–अभिकर्त्ता का रहता है।

7. श्री कुमार, कनीय अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान में उल्लेखित तथ्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष कहा गया था। साथ ही श्री कुमार द्वारा यह स्वयं ही स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा मस्टर रोल पर प्रतिस्ताक्षरित करने के समय मस्टर रोल को Close कर Total नही किया गया था। इनका दायित्व उपस्थिति का योग होने के पश्चात् ही प्रतिस्ताक्षरित करना था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार श्री कुमार का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

8. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री इन्द्रदेव कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0, दरभंगा सम्प्रति कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, सीतामढ़ी द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध निम्नांकित शास्ति अधिरोपित की जाती है :–

(i) निंदन (वर्ष– 2006–07)

15/12/23

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–
सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–372/2012 2630 /पटना, दिनांक :– 15/12/23

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/विशेष कार्य पदाधिकारी, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, दरभंगा/कार्य प्रमंडल–1, सीतामढ़ी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4/5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं एवं श्री इन्द्रदेव कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0, दरभंगा सम्प्रति कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/23

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–
सह–विशेष सचिव